

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए

आवरण-पत्र
(कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

कार्यदायी संस्था (यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड)
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषय: "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" के बिन्दु 5.1.5 "रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान" के अन्तर्गत प्रोत्साहन की माँग

महोदय,

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतद्द्वारा अपना आवेदन-पत्र (अनुलग्नक-ब) संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की माँग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे अनुलग्नों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन-पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सही हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की माँग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपने निगम/कम्पनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

स्थान:
तिथि:

स्वामी / साझेदार / प्रबन्ध निदेशक / निदेशक के हस्ताक्षर
एवं मुहर

आवेदन-पत्र

(1)	इकाई का विवरण		
a.)	नाम		
b.)	प्रबन्ध निदेशक/ प्रबन्धन साझीदार/ स्वामी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम		
c.)	इकाई का पता		
d.)	दूरभाष नं०		
e.)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नं०		
f.)	फैक्स नं०		
g.)	ई-मेल		
h.)	वेबसाइट		
i.)	पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या		
j.)	जी.एस.टी. पंजीयन सं०		
k.)	परमानेंट एकाउण्ट सं० (PAN)		
l.)	परियोजना की स्थापना द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ की तिथि कार्यकलाप		
(2)	संगठन का संविधान	स्वामित्व वाली ☐	साझेदारी ☐
		प्राइवेट लिमिटेड ☐	सहकारी ☐
		सार्वजनिक ☐	समिति ☐
(3)	व्यवसाय प्रारम्भ की तिथि		
(4)	इकाई द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि भुगतान का विवरण		
(5)	दावा किये गये प्रोत्साहनों का विवरण		
	वर्ष	वित्तीय वर्ष	धनराशि
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
(6)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख		
a.)	व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र	हाँ ☐	नहीं ☐
b.)	जिन कर्मियों के लिए भविष्य निधि अनुदान की माँग की जा रही है, उनका उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होने के प्रमाण-पत्र की प्रति	हाँ ☐	नहीं ☐

c.)	पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति	हाँ	☐	नहीं	☐
d.)	सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति	हाँ	☐	नहीं	☐
e.)	PAN CARD की प्रति	हाँ	☐	नहीं	☐
f.)	सम्परीक्षित वित्तीय लेखे	हाँ	☐	नहीं	☐
g.)	क्षेत्रीय ई.पी.एफ. कार्यालय अथवा ई.पी.एफ. ट्रस्ट के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर्मचारियों का विवरण (निम्न प्रारूप पर)	हाँ	☐	नहीं	☐

स्थान:
तिथि:

स्वामी / साझेदार / प्रबन्ध निदेशक / निदेशक के हस्ताक्षर
एवं मुहर

कर्मचारियों का विवरण

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	इकाई में सेवायोजन की तिथि	यूनीवर्सल खाता संख्या (यू0ए0एन0)	वर्ष में जमा की गई भविष्य निधि धनराशि	जमा कराये जाने की तिथि एवं माह
कुल योग					

स्थान:
तिथि:

प्रमाणित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर,
नाम, पदनाम एवं मुहर सहित

(सन्दर्भ: शासनादेश संख्या दिनांक)

- 1 (अ) "नई इकाई" का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली प्रोपराइटरशिप फर्म्स, कम्पनियों, समितियों एवं साझेदारी वाली नई इकाइयों से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।
(ब) "एम.एस.एम.ई.(MSME) सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग" का तात्पर्य ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों से है जिनका वार्षिक व्यवसाय (Turn-over) रु 25 करोड़ तक हो।
- 2 "कम्पनी" से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी कम्पनी से है, जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया हो।
- 3 "सोसायटी" से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी सोसायटी से है, जिसका गठन सोसायटीज अधिनियम 1860 के अन्तर्गत किया गया हो।
- 4 "पार्टनरशिप" से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम-1932 के अन्तर्गत किया गया हो।
- 5 "वित्तीय संस्थान" से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित समस्त बैंकों तथा ऐसे सभी वित्तीय संस्थानों से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है।
- 6 "ऋण वितरण की तिथि" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि से किसी वित्तीय संस्था द्वारा पात्र इकाई को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित कार्यों हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किश्त उपलब्ध करा दी गयी हो।
- 7 "वर्ष का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।
- 8 "स्थिर पूँजी निवेश" का तात्पर्य भूमि, भवन, प्लान्ट, मशीनरी तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित सामग्री/सेवा की बिक्री/अतिरिक्त बिक्री की प्रथम तिथि शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को या उसके बाद पड़ती हो।
- 9 "व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि" का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।
- 10 "सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग" के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों/ कम्पनियों इत्यादि। सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/ कम्पनियों में सम्मिलित है सू0प्रौ0 एप्लीकेशन्स (IT applications), सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से अभिप्राय है बी0पी0ओ0/ के0पी0ओ0/ परामर्शी (consulting)/ 'एनीमेशन (animation)', 'गेमिंग (gaming)' तथा अन्य ज्ञान उद्योग (knowledge industry)।
- 11 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सन्निहित है, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं :-
 - एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software)
 - आपरेटिंग सिस्टम – Operating System
 - मिडिलवेयर / फर्मवेयर (Middleware/ Firmware)
 - उक्त सॉफ्टवेयर में किसी भी अवयव (component) का विकास
 - इन सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना

- प्रणाली का एकीकरण (System Integration)/सॉफ्टवेयर हेतु अवयव (component)
- सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीय (Localization) एवं Supply Chain Management कार्य
- विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य सॉफ्टवेयर के बाहर के मॉड्यूल्स)

12 सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का आशय उन सेवाओं से है जो किसी सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका मूल्य संवर्द्धन करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित है:-

- इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
- ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर
- विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर
- ई-कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट
- इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेन्ज (EDI) सेवायें
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग
- वी-सैट – आई.एस.डी.एन सेवायें
- इलेक्ट्रानिक डाटा सेंटर कार्यकलाप

13 सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं में वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होती हैं जैसे मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज, डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/ एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैंक-आफिस आपरेशन्स – लेखा एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फार्मेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग तथा काल-सेन्टर आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं:-

- बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेन्ट (BPM)
- ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई-मेल, हेल्प-डेस्क
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन
- बैंक आफिस प्रोसेसिंग
- वित्त एवं लेखा (रिमोट द्वारा)
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया – इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Managment)
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)
- एनीमेशन – (रिमोट द्वारा)
- गेमिंग
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)

- अनुवाद (Translation) , नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषय:—
 - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर
 - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि
 - सी0आर0एम0 — ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)
 - एम0आर0एम0 — (Marketing Resources Management)
 - तकनीकी सहायता (Technical Support)
 - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)
- डेटा प्रोसेसिंग
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स
- काल सेन्टर्स
 - वायस — इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड — दोनों
 - डेटा — इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड — दोनों
- सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)
- 'रिमोट द्वारा' का तात्पर्य इन्टरनेट/दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं की उपलब्धता से है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं हैं, भी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सम्मिलित की जा सकेंगी।

- 14 "व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि" का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।
- 15 "जमा की गई जी.एस.टी." एवं "जी.एस.टी." का तात्पर्य सम्बन्धित इकाई द्वारा यथास्थिति, किसी त्रैमास अथवा वित्तीय वर्ष में जमा किए गये नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से है।
- 16 "नोडल एजेन्सी" का तात्पर्य शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के अन्तर्गत नामित नोडल एजेन्सी से है।
- 17 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के प्रस्तर 7 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।
- 18 **आवरण पत्र** : "आवरण पत्र" का तात्पर्य इस शासनादेश के साथ **अनुलग्नक 'अ'** पर उपलब्ध प्रारूप पर लिखे गये आवरण-पत्र से है।
- 19 **आच्छादन** : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
- 20 **न्यायालय का क्षेत्राधिकार** : किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

वचन-पत्र

मैं(नाम) आयु लगभग ... वर्ष पुत्र श्री
निवासी - अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा निम्नवत् कथन करता
हूँ:-

- 1 यह कि अधोहस्ताक्षरी सर्वश्री (नाम) जिसका
पंजीकृत कार्यालय(पता) एवं फैक्ट्री
.....(पता) पर है, का स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक * है।
- 2 यह कि सर्वश्री द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना
प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 में विहित व्यवस्थानुसार, कर्मचारी भविष्य
निधि पर अनुदान की प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
- 3 यह कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की परिभाषा के अन्तर्गत आवेदक फर्म/
कम्पनी/ प्रतिष्ठान* - सर्वश्री एक पूरक/
सूक्ष्म/लघु* उद्यम है तथा कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत
करते समय कार्यरत/ उत्पादनरत* थी तथा फर्म/कम्पनी/ प्रतिष्ठान* निरन्तर
कार्यरत/ उत्पादनरत* रही है।
- 4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/
वित्तीय संस्थान आदि* की किसी भी योजना के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि
पर अनुदान / प्रतिपूर्ति* प्राप्त नहीं की गई है।
- 5 यह कि अधोहस्ताक्षरी स्वयं तथा आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से
वचन देता है कि उपरोक्त उद्घोषणा गलत अथवा असत्य अथवा भ्रामक पाये
जाने की स्थिति में उपरोक्त उल्लिखित कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई पूर्ण
धनराशि का भुगतान लिखित माँग किये जाने से सात दिनों के अन्दर कर देगा
एवं ऐसा कर पाने में असफल रहने पर शासन को अधिकार होगा कि वह
प्रोत्साहन राशि की वसूली 15 प्रतिशत ब्याज सहित भू-राजस्व की भाँति कर ले।

स्थान
तिथि

आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक

टिप्पणी * जो लागू न हो उसे काट दें।